तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रामदयाल बनाम रावतराम वगैरा अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए मुकदमा नम्बर -158/2019	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए

22/12/23

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी वकील एवं राज पैरोकार उपस्थित । अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध पूर्व मे एकतरफा कार्यवाही आदेश हो चुके है। बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि प्रार्थी के नाम चक 302-700 आरडी तहसील लूनकरनसर के मु0 नं0 192/35 के कि0नं0 25 मे 1.0 बीघा कमांड, मु0नं0 192/36 के किला नं0 1/1 मे 15 बिस्वा कमांड, किला नं0 2 ता 4 मे 3.0 बीघा कमांड, किला नं0 5 मे 18 बिस्वा कमांड, 2 बिस्वा खाला कमांड, किला नं0 7 मे 1.0 कमांड, किला नं0 8,9 मे 2.0 बीघा अनकमांड, कि0नं0 10/2 मे 8 बिस्वा अनकमांड, कि0नं0 11/1 मे 4 बिस्वा अनकमांड, कि0नं0 12,13,14,19 में 4.0 बीघा कमांड, कि0नं0 20/2 मे 1 बिस्वा अनकमांड, कि0नं0 22/2 मे 18 बिस्वा अनकमांड, कि0नं0 23 मे 1.0 बीघा अनकमांड, मु0नं0 192/43 के किला नं0 13,18,19,21 तादादी 4.0 बीघा कमांड इस प्रकार कुल तादादी 22.06 बीघा कमांड/अनकमांड खाला सहित खातेदारी भूमि राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है। जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। मौका पर प्रार्थी के खेत मे पानी की डिग्गी बनी हुई है। उक्त कृषि भूमि मे जाने हेतु पड़ौसी काश्तकार रावतराम पुत्र किशनाराम जाति मेघवाल निवासी फूलदेसर के नाम से रोही चक 302-700 आरडी के मु0नं0 192/36 के कि0न 24,25 मे 2-2 बिस्वा भूमि मे से होकर कृषि कार्य हेतु गुजरता है तथा अपने आने जाने हेतु उक्त जगह का प्रार्थी उपयोग करता है। प्रार्थी के खेत मे आने-जाने हेतु उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी का मुरब्बा न0 192/36 के किला नं0 24,25 मे 2-2 बिस्वा पास्ता दक्षिण मे से प्रार्थी का आवंटन से लेकर निरन्तर उक्त जगह से आना जाना है अपने खेत मे जोत आदि परिवहन हेतु उक्त जगह से गुजरना पडता है तथा उक्त चक के मु0नं0 192/36 के किला नं 25 मे खाला पर पहले से ही पुलिया बनी हुई है। दिनांक 17.11.2019 को प्रार्थी, अप्रार्थी के खेत मे से खेती कार्य करने हेतु उक्त रास्ता से जा रहा था तब अप्रार्थी ने रास्ता रोककर कहा कि यहा से कोई रास्ता नहीं है। यह मेरी खातेदारी भूमि है इसलिये आज के बाद यहां से आना जाना बन्द करो तब प्रार्थी ने अप्रार्थी से उक्त रास्ता से आने-जाने मिन्नते की परन्तु वह माना नहीं और कहा कि आज के बाद यहां से मत आना-जाना करना। प्रार्थी उक्त रास्ता से पिछले कई वर्षों से अपने खेत मे खेती कार्यो हेतु आना-जाना कर रहा है परन्तु अप्रार्थी के रास्ता रोक देने के कारण प्रार्थी के खेती कार्य करने में परेशानी आ रही है। रास्ता नहीं होने के कारण प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है। प्रार्थी, अप्रार्थी के खेत के मुरब्बा नं0 192/36 के किला नं0 24,25 मे पासा दक्षिण में 2-2 बिस्वा रास्ता जो मौके पर चल रहा है को स्वीकृत करवाना चाहता है बदले मे नियमानुसार प्रतिकर देने को तैयार है। वकील प्रार्थी द्वारा चक 302-700 आरडी के मु0नं0 192/36 के किला नं0 24,25 में पासा दक्षिण मे 2-2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने के आदेश फरमाया जाने का निवेदन किया गया।

राज पैरोकार द्वारा रास्ता नियमानुसार स्वीकृत करने बाबत सहमति दी । मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट चक 302-700 आरडी के मु0नं0 192/36 के किला नं0 24 ता 25 मे पूर्व से पश्चिम दक्षिणी सीमा पर 2-2 बिस्वा रास्ता प्रार्थी द्वारा वांछित है मौका पर मु0नं0 192/44 किला नम्बर 21 ता 25 पूर्व से पश्चिम मे रास्ता कटान स्वीकृत है। जसे रिकॉर्ड मे दर्ज है तथा मौका पर चालू है। वर्तमान मे मु0नं0 192/36 के किला नं0 24 ता 25 मे रास्ता चालू नहीं है। अतः मु0नं0192/36 के किला नं0 24 ता 25 मे पूर्व से पश्चिम रास्ता कटान उचित की रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

हमने बहस का मनन किया प्रस्तुत रिकॉर्ड जमाबन्दी चक 302-700 आरडी तथा प्राप्त तहसीलदार रिपोर्ट मे आंशिक नजरी नक्शा एवं पटवारी रिपोर्ट का अवलोकन किया अतः स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा वांछित उक्त रास्ता प्रार्थी की चक 302-700 आरडी तहसील लूनकरनसर के मु0 नं0 192/35 मु0नं0 192/36,मु0नं0 192/43 मे कुल तादादी 22.06 बीघा कमांड/अनकमांड खाला सहित खातेदारी भूमि तक जाने के लिए मु0नं0192/36 के किला नं0 24 ता 25 मे दक्षिणी दिशा की ओर पूर्व से पश्चिम रास्ता कटान प्रत्येक किला मे 2-2 बिस्वा गै0मु0 पहुंच हेतु आवश्यक प्रतीत होता है। प्रस्तुत बहस एवं तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर को फैसले की प्रमाणित प्रति भेज निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि चक 302-700 आरडी के मु0नं0192/36 के किला नं0 24 ता 25 मे दक्षिणी दिशा की ओर पूर्व से पश्चिम रास्ता कटान प्रत्येक किला मे 2-2 बिस्वा गै0मु0 रास्ता नियमानुसार भूमि गणना कर वर्तमान डीएलसी दर के दुगना भुगतान सम्बन्धित को होने पर रिकॉर्ड में अंकन कर मौके पर रास्ता की निशानदेही करावें। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता नम्बर से कम होकर दाखिल दफत्तर हो ।

यह आदेश आज दिनांक 22/12/23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजीव कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर